न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, केकड़ी (अजमेर).

पीठासीन अधिकारी – जयमाला पानीगर, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग).

फौजदारी जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 22/2026.

अपराध अन्तर्गत धारा – 8/20, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट.

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 257/2025 पुलिस थाना सरवाड़.

सलीम लंगड़ा पुत्र भंवर आयु 31 वर्ष, निवासी सोमलपुर, पुलिस थाना रामगंज, जिला–अजमेर (राज.).

.. प्रार्थी/अभियुक्त.

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक केकड़ी, जिला–अजमेर.

–––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023.
उपस्थिति:–

1. श्री निशार अहमद, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त.
2. अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य.

––––––

– आ दे श – **दिनांकः–20 जनवरी 2026.**

01– इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त सलीम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. का निस्तारण किया जा रहा है। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

02– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस थाना सरवाड़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–257/2025

Authenticated Document

अन्तर्गत धारा 8/20, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दिनांक 09–12–2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश पारित किए, तभी से प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा है। उक्त प्रकरण में मुख्य आरोपी शमशुद्दीन, लतीफ, रविन्द्र छीपा व दिनेश उर्फ गोलू वर्मा की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त का अपराध इन अभियुक्तगण से भिन्ननहीं है बल्कि केवल मुख्य आरोपीगण के कहने मात्र से उसे अनुसंधान अधिकारी एवं जब्ती अधिकारी द्वारा मिथ्या आधारों पर उक्त प्रकरण में लिप्त किया गया है। किसी प्रकार की बरामदगी नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की सुनवाई में लम्बा समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जासकता है। अनुसंधान अधिकारी एवं जब्ती अधिकारी द्वारा प्रकरण में एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। किसी राजपत्रित अधिकारी एवं किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया है। प्रार्थी/अभियुक्त नौजवान नवयुवक है तथा अधिक समय तक उसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त पते का मूल निवासी है, जिसके जमानत की सूरत में कहीं पलायन करने की संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की पालना करने व आदेशानुसार जमानत, मुचलके पेश करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

03– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज पूर्व आपराधिक प्रकरण एवं आरोपित अपराध की गंभीरता के मद्देनजर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त निम्नानुसार पूर्व आपराधिक रेकार्ड दर्ज होना प्रकट है–

क्र. सं.	अपराधी का नाम	एफ.आई.आर संख्या मय दि0 व धारा	नाम थाना	नतीजा मय दिनांक	आरोपी की गिरफ्तारी की दिनांक	रिहाई दिनांक	न्यायालय में चालान पेश करने की दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	सलीम	25/2016 दिनांक 11–02–16	रामगंज, अजमेर	17/16 दिनांक 29–02–	–	–	–	100/– जुर्माना

Authenticated Document

		धारा 13 आरपीजीओ		16				
2	–	326/2019 दिनांक 20–07–19 धारा 8/20, 29 एनडीपीएस	रामगंज, अजमेर	332/19 दिनांक 21–09–19	–	–	–	विचाराधीन
3	–	395/2019 दिनांक 20–07–19 धारा 8/20, 29 एनडीपीएस	रामगंज, अजमेर	301/20 दिनांक 31–10–20	–	–	–	विचाराधीन
4	–	242/2020 दिनांक 11–11–20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	मांगलियावास	223/20 दिनांक 12–12–20	–	–	–	विचाराधीन
5	–	74/2021 दिनांक 01–06–21 धारा 8/20, 29 एनडीपीएस	दरगाह, अजमेर	–	–	–	–	विचाराधीन

05– हस्तगत प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण लतीफ व शमशुदीन से दिनांक 05–09–2025 को 3.35 पी.एम. पुलिस थाना सरवाड़ के बाहर दौराने नाकाबंदी वाहन कार स्विफ्ट नंबर आर.जे.01–सी.सी.–9155 से एक पीले रंग के प्लास्टिक के कट्टे में कुल 3.925 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद किया गया, जो अवैध मादक पदार्थ अभियुक्त सलीम द्वारा अवैध गांजा सप्लायर गुलाम मुस्तफा से जरिए पार्सल मंगवाया जाकर अभियुक्तगण लतीफ व शमशुद्दीन को अन्य अभियुक्त रविन्द्र छीपा उर्फ टोनी को सप्लाई देने के लिए वाहन स्वामी अभियुक्त दिनेश वर्मा उर्फ गोलू को वाहन स्विफ्ट डिजायर कार नंबर आर.जे.01–सी.सी.–9155 किराए पर लेकर परिवहन कर अपराध का दुष्प्रेरण किए जाने का अन्तर्गत धारा 8/20, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध का आरोप है। जहां तक दौराने बहस अधिवक्ता

अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तगण लतीफ, शमशुद्दीन, रविन्द्र व दिनेश की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार की जा चुकी है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि हालांकि प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्य सह अभियुक्त ललित व शमशुद्दीन की क्रमशः एस.बी.क्रि.मि.बेल एप्लीकेशन नंबर–12422/2025, 12433/2025 दिनांक 26–09–2025 से, अभियुक्त रविन्द्र की एस.बी.क्रि.मि.बेल एप्लीकेशन नंबर–13198/2025 दिनांक 14–10–2025 व अभियुक्त दिनेश उर्फ गोलू की जमानत याचिका दिनांक 12–11–2025 को जमानत याचिका स्वीकार की जा चुकी है, किन्तु उक्त अभियुक्तगण में से अभियुक्त लतीफ के विरूद्ध एक पूर्व आपराधिक प्रकरण दर्ज था, किन्तु इस अभियुक्त सलीम के विरूद्ध 05 पूर्व आपराधिक प्रकरण दर्ज होना सामने आ रहा है, जिनमें से 03 प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित हैं, जिससे अभियुक्त आदतन अपराधी होना प्रकट हो रहा है। अतः सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त खेतसिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान में प्रतिपादित सिद्धान्तों से अभियुक्त को कोई सहायता नहीं मिलती है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्त होना प्रकट हो रहा है। वर्तमान में अनुसंधान लंबित है। अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गम्भीरता के मद्देनजर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

06– अतः प्रार्थी/अभियुक्त **सलीम लंगड़ा** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे व एक प्रति जरिए ई–मेल संबंधित जेल अधीक्षक को प्रेषित हो।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
संख्या–1, केकड़ी, जिला–अजमेर.

07– आदेश आज दिनांक 20–01–2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
संख्या–1, केकड़ी, जिला–अजमेर.

RAJENDERA NIRWAN

Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN
Date: 2026.01.20 16:12:54 +0530

Authenticated Document